अति आवश्यक/स्पीडपोस्ट

अभियोजन निदेशालय,
75/38 इन्दर रोड, पो0औ0 चन्दर रोड,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र सं0–अभि0नि0/अनु0–एक/19/(स्थाना0–2019)/2019/422 दिनॉक 7 जून 2019

आदेश

उत्तराखण्ड शासन द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक 2017 की अधिसूचना संख्या 12/XXXVI (3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 5 जनवरी 2018 के द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक स्थानान्तरण का विधेयक पारित किया गया एवं उपरोक्त के कम में एक और शासनादेश सं0 108/XXX(2)/19/30(13)/2017 दिनांक 01 मई 2019 जिसमें स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा– 27 में प्रदत्त अधिकारों के अर्न्तगत् अधिकतम सीमा में छूट प्रदान करते हुए वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में 10 प्रतिशत तक स्थानान्तरण किये जायेगें एवं अधिनियम के शेष प्राविधान यथावत लागू रहेगें,का प्राविधान किया गया है।

उपरोक्त वर्णित शासनादेश के कम में अभियोजन विभाग में स्थानान्तरण समिति के लिए अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार अभियोजन निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून के अन्तर्गत कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु समिति का गठन निदेशालय के आदेश सं0 अभि0 नि0/अनु0–एक/19 (स्था0)/2019/388 दिनांक 27 मई 2019 के द्वारा किया गया। अभियोजन विभाग में तैनात समूह ''ख'' ''ग'' तथा ''घ'' के अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण का निर्णय लिया गया। निर्णय के उपरान्त तालिका के सम्मुख अंकित अधिकारियों/कर्मचारियों का तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरण आदेश जारी किया जाता है।

क्र0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम /पदनाम	वर्तमान तैनाती का जनपद	कार्यरत स्थल सुगम/दुर्गम	समिति की संस्तुति पर स्थाना0 का जनपद
1	श्रीमती ऋचा कोटियाल सहायक अभियोजन अधिकारी	जनपद देहरादून	सुगम	पौड़ी दुर्गम क्षेत्र
2	श्री अजीत कुमार मिश्रा **सहायक अभियोजन अधिकारी**	पौड़ी	दुर्गम	देहरादून सुगम क्षेत्र
3	श्री अभिषेक दुमका **प्रधान सहायक**	नैनीताल	सुगम	पिथैरागढ़ दुर्गम क्षेत्र

स्थानान्तरण अधिनियम की धारा– 26 के अनुसार स्थानान्तरण किये कार्मिक के बारे में प्रकिया का उल्लेख किया जाना है। उपरोक्त तालिका के कमांक 1 से 3 तक स्थानान्तरण हुए कार्मिकों के स्थानान्तरण की प्रकिया निम्न प्रकार है:–

Scanned by CamScanner

1–**श्रीमती ऋचा कोटियाल,सहायक अभियोजन अधिकारी** :– धारा 17(1)(क) की परिधि में सुगम क्षेत्र में अवरोही क्रम में सबसे ऊपर होने तथा स्थानान्तरण हेतु निर्धारित 10 प्रतिशत तक कार्मिक की परिधि में आने के कारण सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किया गया है। इस कार्मिक द्वारा प्रथम विकल्प जनपद टिहरी गढ़वाल दिया गया था जो सुगम क्षेत्र में जबकि कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम किया जाना है। इस कार्मिक द्वारा दूसरा विकल्प जनपद पौड़ी दिया है जो दुर्गम क्षेत्र है। विभागीय आवश्यकता एवं परिस्थिति को देखते हुए कार्मिक द्वारा दिये गये दूसरे विकल्प जनपद पौड़ी स्थानान्तरण करने का समिति द्वारा निर्णय लिया गया है।

2–**श्री अजीत कुमार मिश्रा, सहायक अभियोजन अधिकारी**:– धारा 17(1)(ग) की परिधि में दुर्गम क्षेत्र में अवरोही क्रम में सबसे ऊपर होने तथा स्थानान्तरण हेतु निर्धारित 10 प्रतिशत तक कार्मिक की परिधि में आने के कारण दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरित किया गया है। विभागीय आवश्यकता एवं परिस्थिति को देखते हुए कार्मिक द्वारा दिये गये दूसरे विकल्प जनपद देहरादून स्थानान्तरण करने का समिति द्वारा निर्णय लिया गया है।

3–**श्री अभिषेक दुमका,प्रधान सहायक**:–धारा 17(1)(क) की परिधि में सुगम क्षेत्र में अवरोही क्रम में सबसे ऊपर होने तथा स्थानान्तरण हेतु निर्धारित 10 प्रतिशत तक कार्मिक की परिधि में आने के कारण सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किया गया है। इस कार्मिक द्वारा प्रथम विकल्प जनपद अल्मोड़ा दिया गया है जो सुगम है। विभागीय आवश्यकता एवं परिस्थिति को देखते हुए कार्मिक द्वारा दिये गये दूसरे विकल्प जनपद पिथौरागढ़ दुर्गम क्षेत्र स्थानान्तरण करने का समिति द्वारा निर्णय लिया गया है।

आदेश प्राप्ति पर जनपद प्रभारी सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को बिना प्रतिस्थानी के कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। प्रत्येक प्रभारी स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–23 की उपधारा 11 व 12 तथा धारा 24 की उपधारा 1,2 व 3 को संज्ञान में रख कर तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करेगें तथा कार्यमुक्ति /योगदान की तिथि से निदेशालय को तत्काल अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(अशोक कुमार)
निदेशक अभियोजन,
उत्तराखण्ड़ देहरादून।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
1–जिलाधिकारी जनपद देहरादून, पौड़ी।
2–महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून ।
3–संयुक्त निदेशक (विधि) जनपद देहरादून/नैनीताल
4–ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, जनपद पौड़ी/पिथौरागढ।
5–मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून,नैनीताल,पिथौरागढ़ व पौड़ी को स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 21(1) के क्रम में सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(अशोक कुमार)
निदेशक अभियोजन,

Scanned by CamScanner